FORM NO.III

APP-A
Grim-1

आज्ञा – पत्र
(नियम–26)

[न्य]ायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

नारायणलाल बनाम नानालाल

मुकदमा संख्या 410 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तारीख में जारी हुए
23/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप०। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 31-12-19 को पेश हो। (कैलाश चन्द्र लखारा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा	
31/12/19	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उप०। समयाभाव से आदेश नहीं लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 6-1-20 को पेश हो। (कैलाश चन्द्र लखारा) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा	
6/1/20	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व अपील के तथ्यों व बहस के तथ्यों पर मनन किया। अपीलार्थी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण सं० 91/2018 आदेश दिनांक 13-11-2018 के विरुद्ध यह अपील अन्तर्गत धारा 222 R+A में पेश की है। पत्रावली में संलग्न अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13-11-2018 के आदेश की फोटो	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही / मय इनिशियल्स सत्र
	प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर आया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उभयपक्ष के अधिवक्तागण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करने के पश्चात आगामी तारीख 18-12-2018 तक के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना स्पष्ट होता है जोकि अन्तिम आदेश नहीं है फिर भी अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 13-11-2018 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर दी जो कि ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अन्तरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	(कैलाश चन्द्र [illegible]) भू-प्रबन्ध अ[illegible] एवं पदेन राजस्व अ[illegible] अधिकारी, भीलवाड़ा